न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट, सुलतानपुर।

पीठासीन राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}

(J.O. Code- UP2397)

विशेष सत्र परीक्षण संख्या-358/2004

UPST010000752004

उत्तर प्रदेश राज्य .....**अभियोजन पक्ष**।

बनाम

1. हीरालाल उम्र 48 वर्ष पुत्र स्व० वंशी
2. शोभनाथ उर्फ शोभई उम्र 50 वर्ष पुत्र स्व० मंगरू
3. मकदूम उम्र 56 वर्ष पुत्र स्व० मंगरू

निवासीगण ग्राम सराय जुझार, थाना चांदा, जिला सुलतानपुर।

.....**अभियुक्तगण**।

मु0 अ 0 सं0-66/2001

धारा-323/34,308/34 भा०दं०सं०

थाना-चांदा, जिला-सुलतानपुर।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक	1. श्री ऋषिकान्त त्रिपाठी
विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष	1. श्री शालिकग्राम प्रजापति

1.	एफ०आई०आर० दर्ज करने की तिथि	04.03.2001
2.	आरोप पत्र की तिथि	06.04.2001
3.	आरोप विरचित करने की तिथि	06.07.2005
4.	साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	05.06.2007
5.	निर्णय की तिथि	13.04.2026

निर्णय

1. अभियुक्तगण हीरालाल, शोभनाथ उर्फ शोभई एवं मकदूम का विचारण न्यायालय द्वारा थाना-चांदा, जिला-सुलतानपुर की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-66/2001, अन्तर्गत धारा-307,323,504,506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोपपत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किये जाने पर किया गया।

2. संक्षेप में वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट इस प्रकार है कि "दिनांक-04.03.2001 को प्रार्थी का लड़का राम सिंह अपनी बांस की कोठ में बांस काटने गया था कि मेरे गांव के कोलई, हीरालाल, शोभई, मकदूम जिनके हाथ मे लाठियां थी, गाली देते हुए आये एवं मेरे लड़के से कहा कि साले ठाकुर यह बांस मेरा है तो मेरे लड़के ने कहा कि भइया यह मेरा बांस है, समय करीब 10.40 बजे मेरे लड़के को जान से मारने की नीयत से लाठियों से मारने लगे और लाठियों से मारपीट कर चोट सिर में व शरीर पर पहुंचाई तो मेरा लड़का चिल्लाया तो मै व मेरे भाई उदयभान सिंह व राकेश कुमार सिंह व अन्य बहुत से लोग आये तो मुल्जिमानो ने अपने हाथ मे लिए लाठी से अपने घर की तरफ चले गये और कहा कि कांटा साफ हो गया मेरे लड़का सिर में चोट खाये वहीं गिर पड़ा था।"

3. वादी मुकदमा बब्बन उर्फ विश्वनाथ सिंह की उपर्युक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना चांदा, जिला सुलतानपुर में अभियुक्तगण हीरालाल, शोभनाथ उर्फ शोभई, कोलई एवं मकदूम के विरुद्ध मु०अ०सं० संख्या-66/2001, धारा-307,323,504,506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दिनॉक-**04.03.2001** को पंजीकृत किया गया जिसका विवरण जनरल डायरी में अंकित किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गयी। घटना स्थल का निरीक्षण तैयार करके नक्शा नजरी तैयार की गयी। विवेचक द्वारा साक्षियों के बयान एकत्रित करने के पश्चात अभियुक्तगण हीरालाल, शोभनाथ उर्फ शोभई एवं मकदूम का विचारण इस न्यायालय द्वारा थाना-चांदा, जिला-सुलतानपुर की पुलिस द्वारा मु०अ०सं० संख्या-66/2001, धारा-307,323,504,506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोपपत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक-**29.01.2003** को प्रसंज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये तथा अपनी-अपनी जमानतें करायी। प्रस्तुत सत्र परीक्षण दाण्डिक वाद में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा- 323/34,308/34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दिनांक-06.07.2005 को आरोप

विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया एवं विचारण की याचना की।

5. अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गयाः-

क्रम सं०	साक्षी संख्या	साक्षी नाम
1.	**पी०डब्लू०-1**	**बब्बन उर्फ विश्वनाथ सिंह**
2.	**पी०डब्लू०-2**	**राम सिंह**
3.	**पी०डब्लू०-3**	**गयादीन तिवारी**
4.	**पी०डब्लू०-4**	**डा० रमाशंकर तिवारी**
5.	**पी०डब्लू०-5**	**वीरेन्द्र सिंह**

6. उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्य में अभियोजन की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं :-

क्रम सं०	प्रदर्श	प्रपत्र	साबित करने वाले साक्षी का नाम
1.	**प्रदर्श क-1**	**तहरीर**	**बब्बन उर्फ विश्वनाथ सिंह**
2.	**प्रदर्श क-2**	**चिक रिपोर्ट**	**गयादीन तिवारी**
3.	**प्रदर्श क-3**	**जी०डी०**	**गयादीन तिवारी**
4.	**प्रदर्श क-4**	**मजरूबी चिट्ठी**	**गयादीन तिवारी**
5.	**प्रदर्श क-5**	**आहत आख्या**	**डा० रमाशंकर तिवारी**
6.	**प्रदर्श क-6**	**नक्शा नजरी**	**वीरेन्द्र सिंह**
7.	**प्रदर्श क-7**	**आरोप पत्र**	**वीरेन्द्र सिंह**

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्तगण की परीक्षा अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक-08.12.2025 तथा अतिरिक्त धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक-09.01.2026 को अंकित की गयी। अभियुक्तगण द्वारा घटना को गलत बताते हुए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण द्वारा दिये गये बयानों को रंजिशन एवं गलत बयान दिया जाना बताया है।

8. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को विस्तार से सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली एवं साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

9. यह सुस्थापित विधि है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करे, जिसके बावत् अभियोजन द्वारा

निम्नलिखित साक्षीगण को प्रस्तुत किया गया है। विवेचनात्मक विश्लेषण हेतु मुख्य परीक्षा में निम्नवत् बयान प्रस्तुत किया हैः-

10. साक्षी **<u>पी0 डब्लू0-1 बब्बन उर्फ विश्वनाथ सिंह</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "घटना दिनांक 04.03.2001 समय 10:40 बजे दिन का था। मेरा लड़का रामा सिंह अपने बाँस कोठ में बाँस काट रहा था मेरे गाँव के मोलई, हीरालाल, शोभई व मक़दूम जो जाति के हरिजन है, वह इस मुक़दमे के मुलजिमान है, मेरे लड़के को अपने हाथ में लाठियां लिए हुए माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मेरे लड़के से कहा साले ठाकुर यह बाँस मेरा है मेरे लड़के ने कहा कि बास कोठी मेरी है काहे गाली दे रहे हो इतने में मुल्ज़िम माँग लाठियों से मारने लगे मेरा लड़का चिल्लाया तो मैं वह उदयभान राकेश व गाँव के बहूत से लोग दौड़कर आए और घटना को देखा हम लोगों को आता देख कर मुलजिमान गाली देते हुए तथा यह कहते हुए कि काँटा साफ़ हो गया है अपने घर को चले गए मेरे लड़के को मुल्ज़िमान मरा हुआ जानकर छोड़कर चले गए मेरे लड़के को हेड इंजरी काफ़ी थी जिससे वह मौक़े पर बेहोश हो गया था यह घटना लाल बहादुर सिंह के घर के व रास्ते के दक्षिण कोठ के पास की है या कोठ मेरी है इस कोठ के बाबत हरखू ने मुक़दमा दायर किया था बाद में हो गई जिसमें हरखू ने स्वीकार किया कि कोठ मेरी है उसी आधार पर फ़ैसला हुआ मैं घटना के बाबत एक प्रार्थना पत्र लिखा तथा अपने लड़के के साथ जीप पर लाद कर थाने ले गया। वहाँ घटना के बाबत मुक़दमा क़ायम हुआ मेरे लड़के की डॉक्टरी परीक्षण ज़रिए पुलिस PHC लम्भुआ में कराई गई घटना के बाबत विवेचक ने मेरा बयान लिया था तथा मौक़ा मुआयना किया था गवाहों को कागज़ संख्या 4 क 2 दिखाया गया तो गवाह ने एक बार कहा कि यही ये प्रार्थनापत्र मैंने थाने पर दिया था इस पर प्रदर्श क-1 डाला गया"

11. साक्षी **<u>पी0 डब्ल्यू-02 राम सिंह</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "घटना दिनांक 04.03.2001 समय 10:40 बजे दिन का था। मैं अपना बाँस काट रहा था तभी हीरालाल सोभई, कोलई, मकदूम डंडा लेकर आए और गाली देते हुए मेरे पास पहुँचते ही तीनों आदमियों ने मेरे सिर पर डंडे से मारा चोट लगते ही मैं वहाँ बैठ गया बैठने के बाद मैंने गुहार लगायी गुहार पर मेरी माँ मेरे पिताजी सुरेन्द्रसिंह, उदयभान सिंह, राकेश सिंह तथा गाँव के काफ़ी लोग आए इन लोगों ने मुझे उठाया मेरे सिर में चोट आयी थी मेरे एक लाठी बांह में तथा सिर में तीन लाठी लगी थी मैं बेहोश हो गया था मैं घर वालों के साथ थाना आया मेरी डॉक्टरी लंभुआ अस्पताल में हुई थी"

12. साक्षी **<u>पी0 डब्ल्यू-03 गयादीन तिवारी</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "दिनांक 4.3.2001 को मैं हेड मोहर्रिर के पद पर थाना चाँदा सुल्तानपुर में तैनात था उस दिन वादी मुक़दमा बब्बन की तहरीर रिपोर्ट के आधार पर मैंने चिक संख्या 22/2001 पर यह मुक़दमा अपराध संख्या 66/2001 अंतर्गत धारा-307,323,504,506 भारतीय दंड संहिता थाना चाँदा अपने लेख व हस्ताक्षर में पंजीकृत किया था चिक रिपोर्ट पत्रावली संलग्न है जिस पर कागज़ संख्या 4 क 1 है। रिपोर्ट पर प्रदर्श क-2 डाला गया इस मुक़दमे की कायमी जीडी में मेरे द्वारा रपट सं०-26 समय 11.50 दिनांक-04.03.2001 थाना चांदा मे भी गयी थी। जी०डी० की कार्बन कापी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, पत्रावली में संलग्न कागज सं०-6 क/2 जिसे मै आज अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित करता हूं। नक्ल जी०डी० पर प्रदर्श क-3 डाला गया। इस मुकदमे के मजरूब राम सिंह की चिट्ठी मजरूबी मेरे द्वारा लेख व हस्ताक्षर मे दिनांक-04.03.2001 को ही तैयार की गयी थी जो मूल रूप मे पत्रावली मे संलग्न है। चिट्ठी मजरूबी पर प्रदर्श क-4 डाला गया।"

13. साक्षी **<u>पी0 डब्ल्यू-04 डा० रमाशंकर</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "दिनांक-04.03.2001 को बतौर चिकित्साधिकारी सी०एच०सी० लम्भुआ में तैनात था। उस दिन 12.35 बजे मैने राम सिंह की चोटों का चिकित्सीय मुआयना किया था जिसे होमगार्ड रामफेर बहादुर सिंह थाना चांदा द्वारा लाया गया था और शरीर पर निम्न चोटें पायी गयीं-

<u>चोट सं०-1</u> फटा हुआ घाव 6 x 1cm x Scull deep दाहिने तरफ खोपड़ी मे लगी थी, 14 सेमी० कान के ऊपरी भाग से ऊपर खून का रिसाव हो रहा था, किनारे अनियंत्रित थे।

<u>चोट सं०-2</u> फटा हुआ घाव 3.5 x 0.5cm x Scull deep माथे के दाहिनी तरफ था। दाहिने भौं से 5 सेमी० ऊपर था।

<u>चोट सं०-3</u> फटा हुआ घाव 4 x 1cm x Scull deep माथे के दाहिनी तरफ था। दाहिने भौं से 5 सेमी० ऊपर था।

<u>चोट सं०-4</u> फटा हुआ घाव 2 x 0.5cm बायीं तरफ माथे पर था, चोट बायीं भौं के ऊपर था, किनारे अनियंत्रित थी।

<u>चोट सं०-5</u> छीला हुआ नीलगू निशान 8 सेमी० x 4 सेमी० बायें अग्रबाहु के मध्य में था। 8 सेमी० बायी आली क्रेनरनन प्रासेस से 8 सेमी० नीचे था।

चोट सं०-6 नीलगू निशान 4 x 2 सेमी० दाहिने अग्रबाहु में था, 4 सेमी० राइट अगली क्रेनान प्रोसेस से नीचे था

मेरी राय मे सभी चोटें किसी सख्त कुन्दालय से आना सम्भव है। साधारण प्रकृति की एवं ताजी हैं। चोटहिल का आहत आख्या मुआयना के समय ही तैयार की गयी थी जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिस पर चोटहिल का पहचान चिन्ह व निशानी अंगूठा अंकित है, जो मेरे द्वारा प्रमाणित है। मूल आहत आख्या जो मैने मुआयना के वक्त ही अपने लेख व हस्ताक्षर मे तैयार की थी, जो पत्रावली में संलग्न है जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया। उपरोक्त सभी चोटें दिनांक-04.03.2001 को ही सुबह 10.30 बजे की आना सम्भव है। तथा लाठी डण्डे में मार कर पहुंचाया जाना सम्भव है।"

14. साक्षी **पी0 डब्ल्यू-05 वीरेन्द्र सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि " दिनांक-04.03.2001 को मै बतौर निरीक्षक थाना चांदा मे नियुक्त था। अ०सं०-66/2001 का मुकदमा मेरी उपस्थित में दर्ज हुआ। इस मुकदमे की विवेचना मैने ग्रहण किया। उसी दिन मेरे द्वारा नक्शा-नजरी बनाया गया जो पत्रावली मे शामिल है। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त दिनांक-06.04.2001 को प्रेषित किया। नक्शा-नजरी व आरोप पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। नक्शा-नजरी पर प्रदर्श क-6 व आरोप पत्र प्रदर्श क-7 डाला गया। दौरान विवेचना मैने बब्बन सिंह, राम सिंह, उदयभान सिंह व राजेश के बयानात लिए थे जिन्होने घटना का समर्थन किया था। आरोप पत्र मैने धारा-307,323,504,506 भा०दं०सं० में प्रेषित किया जो अभियुक्त कोलई, हीरालाल, सोभई व मकदूम के खिलाफ साबित पाकर प्रेषित किया।

15. **अभियोजन का तर्कः-** अभियोजन की ओर से सर्वप्रथम अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि दिनांक-04.03.2001 को वादी बब्बन सिंह का लड़का राम सिंह अपने बांस की कोठ से बांस काटने गया था, उसी समय अभियुक्तगण कोलई, हीरालाल, शोभई और मकदूम जो उसके गांव के ही रहने वाले हैं, अपने हाथ मे लाठियां लेकर गाली देते हुए आये और उसके लड़के से बोले की यह बांस मेरा है तब उसके लड़के ने कहा कि नहीं यह बांस उनका है, इसी बात पर करीब 10.40 बजे उसके लड़के को जान से मारने की नीयत से लाठियों से मारने लगे और मारपीट कर उसके सिर व शरीर मे घातक चोटें पहुंचाई। जब उसका लडका चिल्लायी तो वादी के भाई उदयभान सिंह व गांव के बहुत से लोग मौके पर आये तो सभी मुल्जिमान वापस चले गये। चोटहिल राम सिंह का चिकित्सीय परीक्षण उसी दिन सी०एच०सी० लम्भुआ में कराया गया था। चोटहिल राम सिंह के शरीर पर कुल छः चोटें पायी गयी थी।

चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली मे दाखिल है जिसे चिकित्सक डा० रमाशंकर ने साबित किया है। अभियोजन की ओर से दाखिल किये गये अभिलेखीय साक्ष्य औपचारिक साक्षीगण ने विधिवत् साबित किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतयाः सफल रहा है। अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गई है।

16. **<u>बचावपक्ष का तर्कः-</u>** प्रतिउत्तर में बचावपक्ष की ओर से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि घटना की शुरुआत स्वयं वादी पक्ष के लोगों के द्वारा की गयी थी। वादी पक्ष के व्यक्तियों के द्वारा ही अभियुक्तगण की बांस की कोठ को जबरन काटा जा रहा था। जिसे अभियुक्तगण के द्वारा रोका गया तो वादी पक्ष के लोगों ने अभियुक्तगण को मारपीट कर चोटें पहुचाई, जिसके सम्बन्ध में क्रास केस एस०एस०टी० नं०-01/2004, मु०अ०सं०-301/2001, राज्य बनाम बब्बन सिंह आदि, दर्ज कराया गया था। उसी मुकदमे के बचने के लिए तत्कालीन थानाध्यक्ष को मिलाकर यह मुकदमा अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत कर चलाया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि अभियुक्त कोलई के पिता हरखू हरिजन द्वारा विपक्षी बब्बन सिंह के विरुद्ध एक सा०वा०सं०-172/1987, स्थाई निषेधाज्ञा मे प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक-17.05.1998 को न्यायालय पंचम अपर सिविल जज (प्र०खं०) द्वारा सुलह समझौते के आधार पर डिक्री किया गया था जिसमें उभय पक्ष उक्त निर्णय को मानने हेतु पाबन्द है लेकिन उक्त मुकदमे के वादी मुकदमा हरखू के मृत्यु के पश्चात विपक्षीगण न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए विवादित जमीन पर कब्जा करने के लिए आये तथा मां बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए धमकाते हुए बोले कि सुलह कागज पर हुई है, मौके पर नहीं। गांव वालों के बीच-बचाव से उस दिन मामले को शान्त करा दिया गया। पुनः दिनांक-06.04.1999 को वादी पक्ष के लोग मौके पर आये और वादग्रस्त भूमि मे तोड़फोड करते हुए कब्जा करने का प्रयास किया, जिसकी सूचना दिनांक-17.03.1999 को व उसके बाद भी थाना स्थानीय पर दी गयी थी लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर वादी पक्ष के लोगों का हौसला बुलन्द हो गया, इसी कारण से दिनांक-04.03.2001 को वादी बब्बन सिंह अपने लड़के राम सिंह व राजेश तथा लाल बहादुर सिंह, रवीन्द्र सिंह एवं हरिहर सिंह अपने हाथ में हाकी, लाठी व कुल्हाड़ी लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए अभियुक्तगण के दरवाजे पर चढ़ आये और उसकी बांस कोठ से बांस काटने लगे। इसके साथ ही अभियुक्तगण के छप्पर, हौदी, खूंटा आदि तोड़ने लगे, जब अभियुक्तगण के द्वारा मना किया गया तो वादी पक्ष के लोगों

के द्वारा हाकी लाठी डण्डों से मारकर अभियुक्तगण एवं उनके परिजनो को चोटें पहुंचायी गयी। जब अभियुक्तगण घर मे भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश किये तो वादी पक्ष के लोगों के द्वारा घर में घुसकर अभियुक्तगण की महिलाओं व बच्चों को भी मारपीटकर चोटें पहुंचायी गयी। घर के अन्दर रखे सामानों को तोड़फोड़ कर नष्ट कर दिया गया। मौके पर गांव के लोगों के उपस्थित होने पर वादी पक्ष के लोग अभियुक्तगण को धमकी देते हुए मौके से चले गये। तत्कालीन थानाध्यक्ष चांदा, वीरेन्द्र सिंह स्वयं वादी पक्ष के लोगों की खुली मदत कर रहे थे और घटना वाले दिन खड़े होकर बांस कोठ से बांस कटवा रहे थे। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत की गयी सूचना पर थानाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह ने कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि उल्टा अभियुक्तगण के विरुद्ध ही यह मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। अभियुक्तगण को अपनी संपत्ति की रक्षा का नैसर्गिक अधिकार प्राप्त है। वादी पक्ष के किसी व्यक्ति को यदि कोई चोट आयी है तो वह अभियुक्तगण द्वारा अपनी प्रतिरक्षा के दौरान आयी होगी। वादी पक्ष ही आक्रामक पक्ष रहा है। अभियुक्तगण द्वारा ऐसी कोई घटना नहीं कारित की गयी है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित आरोपों से दोषमुक्त किये जाने की याचना की गई है।

निष्कर्ष

अभियोजन का यह दायित्व है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित आरोप युक्ति-युक्त संदेह से साबित करे-

17. विधि व्यवस्था **श्रीमती शमीम बनाम दिल्ली राज्य जे0 टी0 2018(9) 23 ए0 सी0** मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "प्रत्येक आपराधिक विचारण सत्य की खोज का प्रयास (Quest) है। आपराधिक विचारण करने वाले न्यायाधीश को केवल यह देखना उत्तरदायित्व नहीं है कि किसी निर्देश को सजा न होने पाये बल्कि यह भी देखना है कि कोई दोषी व्यक्ति छूटने न पाये। दोनो समान रूप से महत्वपूर्ण है, दोनो लोक उत्तरदायित्व है जिसका निर्वहन प्रत्येक न्यायाधीश को करने है।"

18. प्रस्तुत मामले के सम्यक निस्तारण के लिए निम्न विचारणीय बिन्दु निर्मित किये जाते हैं-

(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट।

(ii) घटनास्थल के सम्बन्ध में।

(iii) आघात आख्या के सम्बन्ध में।

<u>निष्कर्ष विचारणीय बिन्दु-1 (तहरीर/प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में)-</u>

19. वादी मुकदमा द्वारा थानाध्यक्ष चांदा को प्रस्तुत तहरीर में घटना की तिथि 04.03.2001 व समय 10.40 बजे सुबह का दर्शाया गया है। तहरीर प्रस्तुत करने का दिनांक-04.03.2001 तहरीर पर ही अंकित है, जो यह दर्शित करता है कि कथित घटना की सूचना घटना वाले दिन ही वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रेषित की गयी थी। जिसके आधार पर कुल चार नफर अभियुक्तगण हीरालाल, शोभनाथ उर्फ शोभई, कोलई एवं मकदूम के विरुद्ध थाना चांदा मे मु०अ०सं०-66/2001 अन्तर्गत धारा-307,323,504,506 भा०दं०सं० पंजीकृत किया गया था, जिसमे बाद विवेचना उपरोक्त चारो अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक-06.04.2001 को प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर उपरोक्त धाराओं में सभी चारो अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय द्वारा संज्ञान दिनांक-29.03.2001 को लिया गया। कथित घटना की त्वरित सूचना वादी मुकदमा द्वारा दर्ज करायी गयी है। बचाव पक्ष की ओर से उपरोक्त के सम्बन्ध में मात्र इतना कहा गया है कि तत्कालीन थानाध्यक्ष चाँदा वीरेन्द्र सिंह वादी पक्ष के प्रभाव में थे व उनके मेली मददगार थे और बिना मेडिकल रिपोर्ट और चिकित्सक के बयान के ही गम्भीर धाराओं में अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया जबकि अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत की गयी तहरीर पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। लेकिन पत्रावली पर बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य नही प्रस्तुत किया गया है कि जिसके आधार पर यह निष्कर्षित किया जा सके कि तत्कालीन थानाध्यक्ष चाँदा वीरेन्द्र सिंह ने बिना किसी ठोस आधार के अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत अभियोग पंजीकृत कर लिया। अभियोग पंजीकृत किये जाने के उपरान्त विवेचक थानाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह के द्वारा विवेचना करने के उपरान्त उनके द्वारा किये गये साक्ष्य संकलन के आधार पर ही आरोप पत्र न्यायालय मे प्रेषित किया गया जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय द्वारा विचारण की कार्यवाही संपादित की गयी। अतः बचाव पक्ष का यह कहना कि वाजी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध गलत अभियोग पंजीकृत कराया गया है, मान्य नहीं है।

<u>निष्कर्ष विचारणीय बिन्दु सं०-2 घटनास्थल के सम्बन्ध में:</u>

20. वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर मे घटनास्थल बांस की कोठ पर बांस काटते समय होना दर्शायी गयी है। विवेचक द्वारा वादी की निशानदेही पर नक्शा-नजरी तैयार किया गया था। नक्शा-नजरी प्रदर्श क-6 के रूप में विवेचक वीरेन्द्र सिंह ने बतौर अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-5 साबित किया है। साक्षी पी०डब्लू०-1 वादी मुकदमा बब्बन

ने घटनास्थल के सम्बन्ध में अपने मुख्य बयान में कहा कि मुल्जिमानो द्वारा उसके लड़के राम सिंह को अपने बांस की कोठ में बांस काटते समय विरोध करते समय लाठियों से मारा था। साक्षी ने आगे और स्पष्ट करते हुए कहा कि यह घटना लाल बहादुर सिंह के घर के रास्ते के दक्षिण कोठ के पास की है। उक्त कोठ उसकी है, इसी कोठ के बावत हरखू जो अभियुक्त कोलई के पिता हैं, ने मुकदमा दायर किया है, जिसमें बाद मे सुलह हो गयी थी। और जिसमें हरखू ने स्वीकार किया कि कोठ उसकी है, उसी आधार पर फैसला हुआ था। साक्षी के उपरोक्त बयान से यह प्रकट होता है कि विवादित बांस की कोठ पर वादी मुकदमा के बेटे राम सिंह के द्वारा बांस काटते समय मारपीट की घटना हुई थी। जिसके सम्बन्ध में दोनो पक्षों के द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया।

21. घटनास्थल के सम्बन्ध में बचाव पक्ष के द्वारा सभी तथ्य के साक्षीगण ने विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है। प्रतिपरीक्षा मे साक्षी पी०डब्लू०-1 ने बांस कोठ जिसके विषय में झगड़ा हुआ था, उसे उत्तर रास्ता है जो पूरब-पश्चिम जाता है। बांस कोठ के पश्चिम रिहायशी मकान है। साक्षी ने आगे कहा कि दरोगा जी मौके पर गये थे और उन्हे मारपीट का स्थान दिखाया गया था। साक्षी ने आगे यह भी कहा कि जिस बांस कोठ के विषय मे झगड़ा हुआ था वह बांस कोठ दीवानी के मुकदमे मे विवादित था जिसमें सुलह हुई थी। साक्षी ने कहा कि सुलहनामे मे उक्त बांस कोठ उसे मिला था। इसी प्रकार साक्षी पी०डब्लू०-2 रामसुख जो इस घटना के चोटहिल साक्षी हैं, और कथित घटना इनके सामने घटी थी, ने अपने मुख्य बयान मे बताया कि जब वह अपनी बांस कोठ काट रहे थे तभी अभियुक्तगण मौके पर गाली देते हुए पहुंचे और पहुंचते ही उसके सिर पर डण्डे से मारा। चोट लगते ही वह मौके पर बैठ गया। बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा करने पर साक्षी ने बताया कि झगड़ा बांस की कोठ के पास हुआ था। बासं कोठ उसके घऱ के सामने उत्तर पश्चिम कोने पर है। जब झगड़ा हुआ था तो वह अकेले बांस काट रहा था। बांस कोठ के पूरब तरफ मुल्जिमान का घऱ है। साक्षी ने आगे कहा कि झगडा वाले स्थान पर तीन बांस कोठ प्रत्येक बांस कोठ एक-डेढ़ लाठा की दूरी पर था। साक्षीगण पी०डब्लू०-1 व 2 के बयान से यह स्पष्ट है कि घटना विवादित बांस कोठ से बांस काटते समय हुई थी। नक्शा-नजरी मे भी घटनास्थल बांस के कोठ के पास बांस काटते समय होना दर्शायी गयी है। बचाव पक्ष की ओर से भी उसी घटना के सम्बन्ध में एक क्रास-केस एस०टी० नं०-101/2004 राज्य बनाम बब्बन सिंह आदि, दर्ज कराया गया था। बचाव पक्ष की ओर से उक्त मामले से सम्बन्धित इजराय वाद सं०-02/2001,

कोलई आदि बनाम बब्बन आदि न्यायालय अपर सिविल जज (प्र०खं०) एफ०टी०सी० सुलतानपुर की छायाप्रति कमीशन रिपोर्ट इजराय वाद सं०-22/2001 की छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत प्रपत्र के अतिरिक्त नकल डिक्री मय सुलहनामा न्यायालय-पंचम अपर मुख्य न्यायिक मजि०/सिविल जज (प्र०खं०) हरखू बनाम बब्बन सिंह आदि, सा०वा०सं०-172/1987 तारीख फैसला-13.05.1998 प्रस्तुत किया गया है। जिसमें बांस की कोठ को विवादित स्थल दर्शाया गया है। जो यह दर्शित करता है कि कथित विवादित स्थल बांसकोठ के स्वामित्व के सम्बन्ध में उभय पक्षों के मध्य विवाद था और उसी स्थल पर बांस काटते समय उभयपक्षों के मध्य मारपीट व झगड़ा हुआ था जिसके सम्बन्ध में उभयपक्ष की ओर से एक-दूसरे के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही संचालित की गयी है। अतः उभयपक्षों के मध्य घटनास्थल एक स्वीकृत तथ्य है।

22. क्रास केस के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Mitthulal vs State of M.P., AIR 1975 SC 149** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "If there are cross-cases, evidence recorded in the one cannot be considered in other. It is elementary that each case must be decided on the evidence recorded in it and evidence recorded in other case though it may be a cross-case, cannot be taken into account in arriving at the decision. Even in civil cases this cannot be done unless the parties are agreed that the evidence in the one case may be treated as evidence in the other. Much more so in criminal cases, this would be impermissible. It is doubtful whether the evidence recorded in criminal case can be treated as evidence in the other even with the consent of the accused."

23. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह साबित है कि दोनों पक्ष के मध्य मार पीट की घटना हुयी थी तथा दोनों पक्ष की ओर से एक-दूसरे के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस प्रकार न्यायालय को क्रास केस के मामले में यह देखना है कि घटना स्थल पर कौन-सा पक्ष आक्रामक और हमलावर था और किस पक्ष को अपना बचाव करने का आधार उपलब्ध था अथवा उभय पक्षों के मध्य मामला स्वतंत्र संघर्ष (Free-fight) का है।

<u>निष्कर्ष विचारणीय बिन्दु सं०-3 आघात आख्या के सम्बन्ध में:</u>

24. कथित घटना मे अभियुक्तगण के मारने पीटने से राम सिंह को चोट आना अभियोजन कथानक में अंकित है। राम सिंह का चिकित्सीय परीक्षण घटना वाले दिन सी०एच०सी० लम्भुआ में चिकित्सक पी०डब्लू०-4 डा० रमाशंकर के द्वारा समय 12.35 बजे दिन में किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली मे दाखिल है। मजरूब राम सिंह के शरीर पर कुल छः चोटें पायी गयी थी।

<u>चोट सं०-1</u> फटा हुआ घाव 6 x 1cm x Scull deep दाहिने तरफ खोपड़ी मे लगी थी, 14 सेमी० कान के ऊपरी भाग से ऊपर खून का रिसाव हो रहा था, किनारे अनियंत्रित थे।

<u>चोट सं०-2</u> फटा हुआ घाव 3.5 x 0.5cm x Scull deep माथे के दाहिनी तरफ था। दाहिने भौं से 5 सेमी० ऊपर था।

<u>चोट सं०-3</u> फटा हुआ घाव 4 x 1cm x Scull deep माथे के दाहिनी तरफ था। दाहिने भौं से 5 सेमी० ऊपर था।

<u>चोट सं०-4</u> फटा हुआ घाव 2 x 0.5cm बायीं तरफ माथे पर था, चोट बायीं भौं के ऊपर था, किनारे अनियंत्रित थी।

<u>चोट सं०-5</u> छीला हुआ नीलगू निशान 8 सेमी० x 4 सेमी० बायें अग्रबाहु के मध्य में था। 8 सेमी० बायी आली क्रेनरनन प्रासेस से 8 सेमी० नीचे था।

<u>चोट सं०-6</u> नीलगू निशान 4 x 2 सेमी० दाहिने अग्रबाहु में था, 4 सेमी० राइट अगली क्रेनान प्रोसेस से नीचे था।

चिकित्सक की राय में चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो किसी कुन्दालय से आना संभाव्य पायी गयी। चोटों की अवधि ताजा थी, जो घटना वाले दिन की सुबह 10.30 बजे की होना संभावित थी। बचाव पक्ष की ओर से चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू०-4 डा०रमाशंकर से प्रतिपरीक्षा में यह पूछने पर कि "चोटहिल को आयी चोटें चोट सं०-1 व 3 किसी सख्त वस्तु पर गिरने से आ सकती हैं? उत्तर मे चिकित्सक ने इन्कार किया कि ऐसी चोटें सख्त वस्तु पर गिरने से नहीं आती।" मेडिकल के समय मजरूब राम सिंह पूर्णतयाः होश हवाश मे पाया गया।

25. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि चोटों की प्रकृति के आधार पर यह स्पष्ट है कि मामला केवल साधारण उपहति का है। जबकि अभियुक्तगण के ऊपर सदोष मानववध के प्रयास का आरोप विरचित किया गया है। जबकि अभियोजन पक्ष का कथन है कि चोटों की प्रकृति नहीं बल्कि अभियुक्तगण की मनःस्थित महत्वपूर्ण है।

26. धारा-308 भा०दं०सं० आपराधिक मानववध करने के प्रयत्न से सम्बन्धित है। धारा-308 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन को यह साबित करना आवश्यक है किः (a) अभियुक्त ने पीड़ित से सम्बन्धित ऐसा कोई कृत्य किया है (b) ऐसा कृत्य ऐसी किसी आशय या जानकारी तथा ऐसी परिस्थिति में किया गया हो कि यदि उक्त कृत्य से मृत्य कारित होती हो, तो अभियुक्त हत्या की कोटि मे न आने वाले सदोष मानववध का दोषी होता।

27. अतः उपरोक्त धारा में अन्तर्विष्ट प्रावधान ऐसे किसी आशय अथवा ऐसी जानकारी के साथ ऐसी किसी परिस्थिति के तहत कृत्य करने को उपधारित करता है कि यदि उस कृत्य के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई, तो वह हत्या की कोटि मे न आने वाले सदोष मानववध का दोषी होगा।

28. प्रस्तुत मामले में पत्रावली मे दाखिल साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि कथित विवादित बांस की कोठ पर दोनो पक्ष अपना-अपना दावा प्रकट करते रहे हैं। उक्त बांस की कोठ से बांस काटते समय वादी मुकदमा के बब्बन सिंह उर्फ विश्वनाथ के लड़के राम सिंह को मना करने के लिए अभियुक्तगण मौके पर पहुंचे थे, उसी दौरान वाद विवाद होने पर उभयपक्ष के मध्य मारपीट की घटना हुई जिसके सम्बन्ध में उभयपक्ष की ओर से एक-दूसरे के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही संचालित की गयी। कथित मारपीट की घटना में प्रस्तुत मामले के वादी बब्बन सिंह उर्फ विश्वनाथ के लड़के राम सिंह को चोटें आयीं। चिकित्सीय परीक्षण के दौरान राम सिंह को आयी चोटें साधारण प्रकृति की होना पायी गयी थी। बचाव पक्ष की ओर से भी उक्त मारपीट की घटना में उनके पक्ष के एक सदस्य कोलई को चोटों आयी थीं और उनका चिकित्सीय परीक्षण चिकित्सीय परीक्षण डा० रमाशंकर के द्वारा किया गया था। कथित मारपीट की घटना में अभियोजन की ओर से यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा प्रयुक्त हथियार लाठी व डण्डा थे। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गयी उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों से यह उपधारित नहीं किया जा सकता कि अभियुक्तगण द्वारा कारित कृत्य सदोष मानववध कारित किये जाने के प्रयत्न की कोटि में आता हो। इसी मामले से सम्बन्धित विधि

व्यवस्था **Pate Ram vs State of U.P., 1994 CrLJ 3813 (All)** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि *"The accused was charged u/s 308,323,324 for assaulting and causing injuries to the victims. However, prosecution could not prove his cause beyond all reasonable doubt as there was material discrepancies between statement of prosecution witnesses as to who had inflicted injuries and presence of weapon in the hands of the accused was also found doubtful. It was held that mere utterance of words showing intention to kill the opponent while causing injuries are not sufficient to infer the offence of attempt to commit culpable homicide not amounting to murder."* अतः प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरुद्ध धारा-308 भा०दं०सं० का आरोप साबित नहीं होता है बल्कि साक्षीगण के बयान तथा पत्रावली में दाखिल राम सिंह की मेडिकल रिपोर्ट तथा साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर धारा-323 भा०दं०सं० का आरोप साबित पाया जाता है।

29. क्रास केस राज्य बनाम बब्बन सिंह विशेष सत्र परीक्षण सं०-101/2004, मु०अ०सं०-301/2001 के मामले में वादी मुकदमा कोलई जो इस मामले में अभियुक्त हैं, ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० के पैरा-3 में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि मार्च 1999 में इस मामले के वादी बब्बन सिंह आदि के द्वारा उनके हौदी, खूंटे को तोड़ डाला गया और बांस काट डाले गये। जिसके सम्बन्ध में इजराज वाद दाखिल किया गया लेकिन बब्बन सिंह व उनके पक्ष के लोगों के द्वारा पुनः जनवरी 2001 को उसकी भूमि मे दीवाल बनाकर कब्जा किये व बांस की कोठ को काट डाले जिसकी शिकायत थानाध्यक्ष चांदा से की गयी थी लेकिन थानाध्यक्ष बब्बन सिंह से मिले होने के कारण अपमानित करके थाने से भगा दिए।

30. उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि उभयपक्षों के मध्य पूर्व में भी कई तिथियों पर वाद-विवाद हुआ था। अभियुक्तगण के द्वारा उपरोक्त विवाद के सम्बन्ध में थाना चांदा पर शिकायत किये जाने का तथ्य भी प्रस्तुत किया गया है लेकिन अभियोग पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्व की घटनाओं के संबन्ध में न्यायालय मे कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्तुत मामले की घटना दिनांक-04.03.2001 को कारित हुई है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षीगण के बयानों के आधार पर तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों

से यह प्रकट होता है कि कथित घटना उभय पक्षों के मध्य बांस की कोठ व आबादी की जमीन के विवाद के फलस्वरूप स्वतन्त्र संघर्ष (free-fight) के फलस्वरूप एक दूसरे के विरुद्ध कारित की गयी थी, जिसमें उभयपक्ष के एक-एक व्यक्तियों को चोटें आयी थी।

31. अतः अभियुक्तगण हीरालाल, शोभनाथ उर्फ शोभई एवं मकदूम को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा-323/34 भा०दं०सं० में दोषी पाते हुए दण्डित किये जाने योग्य है।

आदेश

32. अभियुक्तगण हीरालाल, शोभनाथ उर्फ शोभई एवं मकदूम को आरोप अंतर्गत धारा-323/34 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध किया जाता है।

33. अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। दोषसिद्ध अपराधीगण हीरालाल, शोभनाथ उर्फ शोभई एवं मकदूम को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु भोजनावकाश पश्चात पेश हो। sd/-

दिनांक-13.04.2026

(राकेश पाण्डेय)

विशेष न्यायाधीश
एस०सी०एस०टी०एक्ट
सुलतानपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित कर उद्घोषित किया गया। sd/-

दिनांक-13.04.2026

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश
एस०सी०एस०टी०एक्ट
सुलतानपुर।

Abhay Pratap Singh
(Steno.)

भोजनावकाश पश्चात-

34. विशेष सत्र परीक्षण की पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु भोजनावकाश पश्चात पेश हुई। दोषसिद्ध अपराधीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। दण्ड के बिन्दु पर दोषसिद्ध अपराधीगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

35. दोषसिद्ध अपराधीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय में करीब 25 वर्षों से मुकदमा लम्बित रहा है। दोषसिद्ध अपराधीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वे लगातार न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते रहे हैं एवं उनके द्वारा विचारण में सहयोग किया जाता रहा है। यह उनका यह पहला अपराध है। दोनो पक्षों के मध्य विवादित भूमि मे स्थित बांस की कोठ से बांस काटने को लेकर विवाद था जिसके फलस्वरूप यह मुकदमा पंजीकृत हुआ। अतः दोषसिद्ध अपराधीगण की प्रास्थिति एवं उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान मे रखते हुए परिवीक्षा पर छोड़े जाने की याचना की गई।

36. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्ध अपराधीगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। दोषसिद्ध अपराधीगण द्वारा मारने से राम सिंह को सिर में गम्भीर चोटें आयी थीं जिसे चिकित्सक द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर साबित किया गया है। अतः दोषसिद्ध अपराधीगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

37. बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया।

38. प्रस्तुत मामले में दोषसिद्ध अपराधीगण हीरालाल, शोभनाथ उर्फ शोभई एवं मकदूम की पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उनके पूर्व के आचरण को दृष्टगत रखते हुए तथा प्रस्तुत मामले मे लघुतरकारीय एवं गुरुतरकारीय परिस्थितियों (Aggravating and mitigating circumstances) को ध्यान मे रखते हुए निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैः-

दण्डादेश

दोषसिद्ध अपराधी हीरालाल, शोभनाथ उर्फ शोभई एवं मकदूम को मुकदमा अपराध संख्या-66/2001, सत्र परीक्षण संख्या-358/2004 प्रत्येक कोः-

1. धारा-323 के भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए मु0-1,000/-रूपये (एक हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 मास (एक मास) का साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. अधिरोपित जुर्माने की 50 प्रतिशत धनराशि चोटहिल/वादी मुकदमा (न होने पर) उसके विधिक वारिसानों को बतौर प्रतिकर समान रूप से प्रदान की जाए।

3. धारा-481 भा०ना०सु०सं० के प्राविधानों के अन्तर्गत इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की स्थिति में अभियुक्तगण की अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक अभियुक्त मु०-20,000/-रूपये के व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू अन्दर सप्ताह दाखिल करे, उनके द्वारा निष्पादित व्यक्तिगत बन्धपत्र व उनके जामिनदारों द्वारा निष्पादित प्रतिभूपत्र इस निर्णय की तिथि से छह माह की अवधि तक वैध रहेंगे।

4. निर्णय की प्रति दोषसिद्ध अपराधी को निःशुल्क प्रदान की जाये।

sd/-

दिनांक-13.04.2026

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश
एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०)एक्ट
सुलतानपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित कर उद्घोषित किया गया।

sd/-

दिनांक-13.04.2026

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश
एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०)एक्ट
सुलतानपुर।

Abhay Pratap Singh
(Steno.)